कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित

''वन धन भवन'' सेक्टर 24, नवा रायपुर, अटल नगर (छत्तीसगढ़)

E-mail: mfpfed.cg@nic.in Website: www.cgmfpfed.org

संविदा पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन

संशोधन क्रमांक - 02 दिनांक 27.04.2020

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित नवा रायपुर अटल नगर द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत रिक्त संविदा पदों पर दिनांक 24.03.2020 को शाम 5.00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

उक्त विज्ञापन में आंशिक संशोधन करते हुए ऑनलाईन आवेदन दिनांक 19.05.2020 को शाम 5.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। प्रवेश पत्र, एप्टीट्यूड परीक्षा (ऑनलाईन), कौशल परीक्षा, समूह चर्चा, साक्षात्कार की संशोधित तिथि तथा संशोधित पदसंख्या आदि संघ की वेबसाईट - **www.cgmfpfed.org** से डाउनलोड किया जा सकता है। इस हेतु पृथक से सूचना जारी नहीं की जावेगी। पूर्व में जिन आवेदकों के द्वारा आनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है, उन्हें पृथक से आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

आवेदन संघ की वेबसाईट - **www.cgmfpfed.org** को निरंतर समय-समय पर अवलोकन करें।

अपर प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ रायपुर

कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित

''वन धन भवन'' सेक्टर 24, अटल नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)

फोन नं. (0771) 2513100 से 2513110

E-mail: mfpfed.cg@nic.in Website: www.cgmfpfed.org

सूचना दिनांक /04/2020

संविदा पदों पर नियुक्ति हेतु संशोधित विज्ञापन
(पुनरीक्षित रिक्त पदों हेतु)

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा विज्ञापन दिनांक 29.02.2020 के माध्यम से संचालित 07 वर्षीय रोजगारोन्नमुखी परियोजना तथा अन्य परियोजना अंतर्गत (अवधि जनवरी 2017 से दिसम्बर 2023) आवेदन दिनांक 24.03.2020 तक आमंत्रित किए गए थे, उपरोक्त जारी सूचना में आंशिक संशोधन किया गया है। संशोधित विज्ञापन का विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है। अतः निम्नानुसार रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु योग्य, उत्साही तथा व्यापारिक / सामाजिक संस्था की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने वाले, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, आवेदकों से ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक **10.05.2020** तक आमंत्रित किये जाते हैं। **जिन आवेदकों द्वारा पूर्व में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है, उन्हें पुनः ऑनलाईन आवेदन फार्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी।** विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

क्र.	पदनाम	पद संख्या	श्रेणी	एक मुश्त मासिक वेतन (रू. में)	शैक्षणिक योग्यता
1	प्रबंधक (लेखा)	01	01 अनारक्षित	रू. 49,000.00	चार्टर्ड अकाउंटेंड उत्तीर्ण एवं एक वर्ष का लेखा तथा अंकेक्षण का अनुभव, अभ्यर्थी को भारतीय सनधी लेखाकार संस्थान ICAI का सदस्य होना अनिवार्य।
1	सीनियर एक्सीक्यूटिव (तकनीकी)	05	01 - अनु.जनजाति 01 - अनु. जाति 02 - अनारक्षित 01 - अ.पि.व	रू. 35,750.00	एम.एस.सी.(एग्रीकल्चर/हार्टीकल्चर/खाद्य प्रसंस्करण/बॉटनी/फॉरेस्ट्री/ग्रामीणप्रौद्योगिकी) या बी.टेक (मेकेनिकल/एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग)। सामान्य श्रेणी हेतु न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों एवं अ.ज.जा/अ.जा श्रेणी हेतु 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।
2	सीनियर एक्सीक्यूटिव (मार्केटिंग)	04	02 - अनु.जनजाति 01 - अनु. जाति 01 - अनारक्षित	रू. 35,750.00	बी.टेक./बी.ई. अथवा बी.एस.सी के साथ एम.बी.ए. अथवा एम.एस.सी. (एग्रीकल्चर/ हार्टीकल्चर /बॉटनी/फॉरेस्ट्री/ग्रामीण प्रौद्योगिकी) सामान्य श्रेणी हेतु न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों एवं अ.ज.जा/अ.जा श्रेणी हेतु 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।
3	जूनियर एक्जीक्यूटिव (मार्केटिंग)	06	02 - अनु.जनजाति 01 - अनु.जाति 03 - अनारक्षित	रू. 25,780.00	बी.बी.ए/बी.एस.सी (एग्रीकल्चर / हार्टीकल्चर/ बॉयलोजी/फारेस्ट्री/ग्रामीण प्रौद्योगिकी)। सामान्य श्रेणी हेतु न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों एवं अ.ज.जा/अजा श्रेणी हेतु 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।
4	जूनियर एक्सीक्यूटिव (तकनीकी)	04	02 - अनु.जनजाति 01 - अनु.जाति 01 - अन्य पिछड़ा वर्ग	रू. 25,780.00	बी.एस.सी. विज्ञान (एग्रीकल्चर / हार्टीकल्चर /बायलोजी / फॉरेस्ट्री / ग्रामीण प्रौद्योगिकी) सामान्य श्रेणी हेतु न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों एवं अ.ज.जा/अ.जा श्रेणी हेतु 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।
5	जूनियर एक्सीक्यूटिव (अनुसंधान विस्तार)	01	01 - अनारक्षित	रू. 25,780.00	बी.एस.सी (केमेस्ट्री / बायोटेक्नोलाजी / फूड टेक्नोलाजी / माइक्रोबाइलोजी /बायो केमेस्ट्री) सामान्य श्रेणी हेतु न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों एवं अ.ज.जा/अ.जा श्रेणी हेतु 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।

क्र.	पदनाम	पद संख्या	श्रेणी	एक मुश्त मासिक वेतन (रू. में)	शैक्षणिक योग्यता
6	मैनेजर शहद प्रसंस्करण केन्द्र	04	01 - अनु.जनजाति 02 - अनारक्षित 01 - अन्य पिछड़ा वर्ग	रू. 25,780.00	डिप्लोमा इन मेकेनिकल इंजीनियरिंग या फूड प्रोसिंग या उसके समकक्ष उपाधि या बी.टेक. मेकनिकल
7	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर कम ऑफिस असिस्टेन्ट	05	03 - अनु.जनजाति 01 - अनारक्षित 01 - अन्य पिछड़ा वर्ग	रू. 18,420.00	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक। 2. मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर / प्रोग्रामिंग में न्यूनतम एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की **''8000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा''** की गति होना अनिवार्य है। 3. टैली ERP 9.0 का ज्ञान होना अनिवार्य है।

टीपः- रिक्त पदों की संख्या एवं वर्गवार रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। केवल मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं विश्वविद्यालय के डिग्री एवं डिप्लोमा मान्य होंगे। चयन प्रक्रिया का विस्तृत विवरण संघ के वेबसाईट **www.cgmfpfed.org** में दिया गया है। साक्षात्कार / समूह चर्चा / कौशल परीक्षा हेतु चयनित आवेदकों के नाम की सूची तथा साक्षात्कार की तिथि कार्यालय के वेबसाइट **www.cgmfpfed.org** पर उपलब्ध होगी तथा पृथक से पत्र द्वारा सूचना नहीं दी जावेगी। अतः वेबसाईट का निरंतर समय-समय पर अवलोकन करते रहें।

अपर प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ रायपुर

कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित

"वन धन भवन" सेक्टर 24, अटल नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)

E-mail: mfpfed.cg@nic.in Website: www.cgmfpfed.org

विभिन्न पदों पर संविदा भर्ती हेतु नियम, शर्तें एवं चयन प्रक्रिया

1. आवेदन सिर्फ आनलाईन माध्यम से ही स्वीकार किये जावेंगे। आनलाईन आवेदन के अलावा अन्य माध्यमों से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। आनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक **10.05.2020** है।

2. **अनुमानित समय सारणी** - जारी विज्ञापन के अनुसार नियुक्ति के संबंध में समय-सारणी निम्नानुसार होगी - यदि तिथि में संशोधन किया जाता है तो इसकी जानकारी संघ के वेबसाईट **www.cgmfpfed.org** से प्राप्त की जा सकेगी।

समय सारणी

क्र.	विषय	पद	तिथि	समय
1.	विज्ञापन जारी करने का दिनांक	समस्त विज्ञापित पद हेतु	27-04-2020	
2.	ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि	समस्त विज्ञापित पद हेतु	01-05-2020	प्रातः 11:00 बजे से
3.	ऑनलाईन आवेदन अंतिम तिथि	समस्त विज्ञापित पद हेतु	10.05.2020	शाम 5:00 बजे तक
4.	प्रवेश पत्र जारी करना	समस्त विज्ञापित पद हेतु	20.05.2020	शाम 5:00 बजे तक
5.	एपटीट्यूड परीक्षा (ऑनलाईन)	प्रबंधक (लेखा) सीनियर / जूनियर एक्सीक्यूटिव एवं मैनेजर शहद प्रसंस्करण केन्द्र	31.05.2020	प्रातः 10:00 बजे से 11:00 बजे तक
6.	कौशल परीक्षा	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर कम ऑफिस असिस्टेन्ट	01.06.2020 एवं 02.06.2020	प्रातः 10:00 बजे से अलग-अलग बैच में
7.	समूह चर्चा	प्रबंधक (लेखा) सीनियर एक्सीक्यूटिव हेतु	07.06.2020	प्रातः 10:00 बजे से अलग-अलग बैच में
	साक्षात्कार	साक्षात्कार - प्रबंधक (लेखा) सीनियर / जूनियर एक्सीक्यूटिव एवं मैनेजर शहद प्रसंस्करण केन्द्र		

3. **आवेदन शुल्क** - आनलाईन आवेदन हेतु भुगतान किये जाने वाले शुल्क का विवरण निम्नानुसार है -

क्र.	वर्ग	निर्धारित परीक्षा शुल्क (राशि रू. में)
1.	सामान्य वर्ग	350/-
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग	250/-
3.	अनुसूचित जाति एवं जनजाति	200/-

निर्धारित शुल्क का भुगतान आवेदन करते समय केवल ऑनलाईन ही किया जा सकता है।

4. **आयु सीमा** - उपरोक्त पदों हेतु आयु 35 वर्ष (नियमानुसार आयु सीमा में अ.ज.जा/अ.जा एवं अन्य पिछड़े वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के पुरूष आवेदकों को 05 वर्ष एवं आरक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवारों को 15 वर्ष एवं अनारक्षित महिला उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट, परन्तु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष)। से अधिक नहीं होनी चाहिये। आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2020 को 21 वर्ष से कम तथा अधिकतम आयु सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिये। आयु के पुष्टि मूल अभिलेखों के परीक्षण के दौरान 10वीं की मार्कशीट द्वारा की जावेगी। यदि आवेदक द्वारा गलत जानकारी प्रस्तुत किया गया हो तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।

5. **निवासी** - आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।

6. **अनुभवी आवेदक के संबंध में निर्देश** -

6.1. छत्तीसगढ़ शासन के अधीन कार्यरत शासकीय सेवक तथा विभिन्न नगर निगमों / मंडल राज्य के उपक्रम / अन्य राज्यों एवं भारत सरकार अथवा उनके निजी उपक्रम की सेल में कार्यरत अथवा राष्ट्रीयकृत / अराष्ट्रीकृत बैंक अथवा निजी संस्थाओ एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत इच्छुक आवेदक को नियोक्ता संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र आदेश जारी होने के 1 माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

6.2. आवेदक को मूल दस्तावेज परीक्षण के समय अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाले संस्थान के नाम एवं पूर्ण पता विवरण के साथ अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा इसके अभाव में आवेदक द्वारा दिये गये अनुभव को मान्य नहीं किया जावेगा, जिसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

7. **आवेदक हेतु अन्य निर्देश** -

7.1. पदों की संभावित रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।

7.2. छत्तीसगढ़ के किसी जिले के जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है।

7.3. अपूर्ण, अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण आन लाईन आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जावेगा एवं इस संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

7.4. ऑन लाईन आवेदन करने के अंतिम तिथि को आवेदक के समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित (वैध) होना अनिवार्य है। आवेदन भरने के संबंध में आवश्यक सावधानी बरतें, बाद में आवेदक के द्वारा जन्म तिथि, वर्ग, विषय आदि में परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

7.5. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

7.6. कोई भी पुरूष उम्मीद्वार जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों, और कोई भी महिला उम्मीद्वार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

7.7. आवेदक जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

7.8. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, इनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परन्तु कोई भी आवेदक जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा ।

7.9. रिक्त पद, निर्धारित अर्हता, चयन प्रक्रिया तथा अन्य संबंधित जानकारी संघ की वेबसाइड **www.cgmfpfed.org** पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से सूचना पत्र प्रेषित नहीं किया जावेगा। अतः आवेदक **www.cgmfpfed.org** का निरंतर अवलोकन करते रहें।

7.10. आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर आवेदन पत्र भरे। चयन की किसी भी स्तर पर आवेदक को अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी, इसके लिए किसी भी प्रकार की पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।

7.11. विज्ञापन में तथ्यात्मक / लिपिकीय त्रुटि चयन के किसी भी स्तर में सुधारी जा सकती है, जिसकी विधिवत सूचना वेबसाईट **www.cgmfpfed.org** में प्रकाशित होगी। ऐसे त्रुटि सुधार से चयन की प्रक्रिया अप्रभावित रहेगी। इसके संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नही होगा।

7.12. आनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं करना है।

7.13. चयन के संबंध में नियुक्तिकर्ता अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

7.14. यदि किसी आरक्षित अथवा अनारक्षित वर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार उपयुक्त महिला आवेदक के अभाव के कारण चयन न होने से पद रिक्त रह जाते हैं, तो ऐसे रिक्त पद अग्रणित नहीं किये जायेंगे। अपितु उसी वर्ग के पुरूष उम्मीद्वार के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे, जिस वर्ग के लिए वह आरक्षित है।

7.15. यदि आवेदक एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करना चाहते हों तो वे प्रत्येक पद हेतु पृथक - पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7.16. संविदा नियुक्ति संघ के संविदा नियुक्ति नियम 2013 के तहत 01 वर्ष के लिए होगी। कार्य संतोषजनक होने पर आवश्यकतानुसार संविदा अवधि बढ़ाई जा सकती है।

7.17. चयनित आवेदकों को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी स्थान पर पदस्थापना दी जा सकती है। यह पदस्थापना दूरस्थ क्षेत्र में भी हो सकती है। नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय में उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित आवेदकों की नियुक्ति स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी। कार्य की आवश्यकता को देखते हुये प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ समय - समय पर पदस्थापना में परिवर्तन भी कर सकते हैं।

7.18. चयनित आवेदकों को छत्तीसगढ़ के वनवासियों के आजीविका के लिये कार्य करना है। इस हेतु आवेदक को सम्पूर्ण राज्य में किसी भी स्थान पर नियुक्तकर्ता अधिकारी अथवा सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार क्षेत्र भ्रमण किया जाना होगा। क्षेत्र भ्रमण दूरस्थ एवं संवेदनशील क्षेत्रों में भी किया जाना होगा। आवश्यकतानुसार राज्य के बाहर भी प्रवास पर जाना होगा। तदानुसार इच्छुक अभ्यर्थी ही आवेदन प्रस्तुत करें।

7.19. सेवा के दौरान उभय पक्षों द्वारा एक माह का वेतन अथवा एक माह का नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकती है। आवश्यकता होने पर सेवा वृद्धि के संबंध में सेवा सत्यापन / गोपनीय प्रतिवेदन में अनुकूल टिप्पणी होने पर ही सेवा वृद्धि की जा सकेगी।

7.20. चयन हेतु आवेदक की पात्रता / अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर अटल नगर को होगा।

7.21. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व सेवा, अनुशासनहीनता / अनुचित व्यवहार या अनियमितता के आधार पर किसी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो तो वह चयन के लिये पात्र नहीं होंगे।

7.22. किसी भी आवेदक द्वारा यदि गलत जानकारी प्रस्तुत की गयी है तो चयन प्रक्रिया के समय अथवा चयन के पश्चात किसी भी समय उसकी सेवा निरस्त की जा सकती है।

8. **चयन प्रक्रिया** -

8.1. **सामान्य निर्देश** -

8.1.1. अलग-अलग पदों की चयन प्रक्रिया अलग-अलग होगी।

8.1.2. प्राप्त आवेदनों के आधार पर चयन प्रक्रिया प्रारंभ की जावेगी। अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के तहत एपटीट्यूड परीक्षा में बुलाने का यह तात्पर्य नहीं होगा की उनका चयन हो गया है।

8.1.3. चयन प्रक्रिया में डाटा एण्ट्री ऑपरेटर को छोड़कर अन्य समस्त पदों के लिये प्रथमतः एपटीट्यूड परीक्षा आयोजित की जावेगी। एपटीट्यूड परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को आगामी चरण में बुलाया जावेगा। यदि कोई आवेदक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है एवं एपटीट्यूड परीक्षा में भाग लेता है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।

8.1.4. **परीक्षा के संबंध में विस्तृत निर्देश तथा प्रवेश पत्र संघ के वेबसाइट www.cgmfpfed.org से डाउनलोड किया जा सकता है इस हेतु किसी भी आवेदक को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी ।**

8.1.5. **परीक्षा केन्द्र** - पृथक से वेबसाईट में अपलोड की जावेगी।

8.1.6. **प्रवेश पत्र** - एपटीट्यूड परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 20.05.2020 को संघ के वेबसाईट से डाऊनलोड किया जा सकता है।

8.2. **पदवार निर्देश** -

अलग-अलग पदों की चयन प्रक्रिया अलग-अलग होगी।

8.2.1. **प्रबंधक (लेखा) / सीनियर एक्सीक्यूटिव (मार्केटिंग / तकनीकी)**

यह 03 पद हेतु एक साथ कॉमन परीक्षा आयोजित की जायेगी।

8.2.1.1. **एपटीट्यूड परीक्षा का सेलेबस - अवधि 1:00 घंटा**

- आंकड़ों का विवेचना एवं तार्किक तर्क संबंधी प्रश्न। (Data interpretation and logical reasoning)
- मात्रात्मक क्षमता (quantitative ability)

8.2.1.2. **साक्षात्कार एवं समूह चर्चा** -

- एपटीट्यूड परीक्षा पात्र अभ्यर्थियों हेतु द्वितीय चरण में समूह चर्चा कराया जावेगा। समूह चर्चा हेतु एपटीट्यूड परीक्षा में पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता सूची 1 पद हेतु 15 अभ्यर्थियों के आधार पर जारी की जावेगी।
- एपटीट्यूड परीक्षा एवं समूह चर्चा में प्राप्त अंको के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार हेतु 1 पद हेतु 3 अभ्यर्थियों के आधार पर वरीयता सूची जारी की जावेगी।

8.2.2. **जूनियर एक्सीक्यूटिव (मार्केटिंग / तकनीकी / अनुसंधान विस्तार) एवं मैनेजर शहद प्रसंस्करण केन्द्र** -

इन समस्त पदों हेतु एक साथ कॉमन परीक्षा आयोजित की जाएगी।

8.2.2.1. **एपटीट्यूड परीक्षा का सेलेबस - अवधि 1:00 घंटा**

- आंकड़ों का विवेचना एवं तार्किक तर्क संबंधी प्रश्न। (Data interpretation and logical reasoning)
- मात्रात्मक क्षमता (quantitative ability)

8.2.2.2. **साक्षात्कार** -

- एपटीट्यूड परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार हेतु वरीयता सूची जारी की जावेगी। यह वरीयता सूची 1 पद हेतु 15 अभ्यर्थियों के आधार पर जारी की जावेगी।

8.2.3. **डॉटा एण्ट्री ऑपरेटर कम आफिस अस्टिेंट-**

- उक्त पद हेतु कौशल परीक्षा आयोजित की जावेगी।
- कौशल परीक्षा एम.एस.ऑफिस एवं टैली ERP 9.0 साफ्टवेयर से संबंधित होगी।

8.3. **चयन प्रक्रिया के तहत अंको का विभाजन** -

एपटीट्यूड परीक्षा, समूह चर्चा / कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंको को निम्नानुसार विभाजित कर कम्बाईंड स्कोर के आधार वरीयता सूची तैयार की जावेगी ।

चयन हेतु अंकों का विभाजन 100 अंक मानकर निम्नानुसार किया जावेगा

विवरण	प्रबंधक (लेखा)	सीनियर एक्सीक्यूटिव (मार्केटिंग / तकनीकी)	जूनियर एक्सीक्यूटिव (मार्केटिंग / तकनीकी / अनुसंधान विस्तार)	मैनेजर शहद प्रसंस्करण केन्द्र	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर कम ऑफिस असिसटेन्ट
शैक्षणिक योग्यता	-	-	50	50	-
एपटीट्यूड परीक्षा	60	60	35	35	
कौशल परीक्षा	-	-	-	-	(25 अंक हिन्दी टायपिंग + 25 अंक अंग्रेजी टायपिंग + 25 अंक एक्सेल शीट एवं 25 अंक टैली हेतु)
समूह चर्चा	15	15	-	-	-
अनुभव	10	10	-	-	-
साक्षात्कार	15	15	15	15	-
योग :-	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

कम्बाईंड स्कोर में सर्वाधिक अंक पाने वाले वर्गवार अभ्यर्थियों का चयन किया जावेगा। चयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी प्रकार के संशोधन अथवा निर्देशों के लिये संघ के वेबसाईट **www.cgmfpfed.org** का नियमित अवलोकन करते रहे।

9. **मूल दस्तावेज सत्यापन** -

आवेदक के साक्षात्कार पूर्व या चयन होने उपरान्त आवेदक को सर्वप्रथम मुख्यालय में मूल दस्तावेजों का परीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा। आवेदन के समय प्रस्तुत जानकारी एवं मूल दस्तावेजों में अंकित जानकारी समान होने पर ही आवेदक नियुक्ति का पात्र होगा। गलत जानकारी प्रस्तुत करने के कारण यदि नियुक्ति निरस्त की जाती है, तो आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

9.1. हाईस्कूल प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं छाया प्रति।

9.2. उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र एवं हायर सेकण्डी की अंकसूची की मूल प्रति एवं छायाप्रति।

9.3. जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति।
9.4. मूल निवास प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं छाया प्रति।
9.5. रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं छाया प्रति।
9.6. जन्मतिथि प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं छाया प्रति।
9.7. क्रिमीलेयर न होने संबंधी प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं छाया प्रति।
9.8. भूतपूर्व सैनिक (यदि हो तो) सेवा अवधि, सेवानिवृत्ति तथा अन्य मूल अभिलेख एवं छायाप्रति।
9.9. विकलांग अभ्यर्थियों को मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9.10. फोटो युक्त पहचान पत्र (ड्रायविंग लायसेन्स, आधार कार्ड या कोई भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी पहचान कार्ड)।
9.11. अन्य आवश्यक अभिलेख एवं छाया प्रति।

अपर प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ रायपुर